(c) whether it is a fact that the funding was through Japan's financial aid;

(d) whether it is also a fact that due to inordinate delay in transferring the forest land the project cost has now been doubled;

(e) if so, what is the number of projects in Maharashtra which remained unexecuted due to improper co-ordination between the Ministries; and

(f) whether such projects will be referred to Planning Commission for Revised Budget sanctions ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) to (d) The Ghatghar Pumped Storage Scheme (2x125 MW) on river Pravara in Maharashtra was approved by Planning Commission in August, 1992 at an estimated cost of Rs. 191.16 crores including associated transmission system at 1986-87 price level. The revised cost of the project as cleared by CEA in October, 1993 is Rs. 620.78 crores, excluding transmission system. The approved outlays for the Eighth Plan and Annual Plan 1994-95 are Rs. 40 crore and Rs. 10 crore respectively. The project is being funded with loan assistance from OECF Japan. The clearance for forest land required for the project has already been accorded by Government of India in May, 1992.

(e) and (f) No approved and on-going project has remained unexecuted in Maharashtra. The revised cost estimates of the projects are submitted by the State Government/SEBs for techno-economic clearance by Central Electricity Authority from time to time.

समन्वित विकास योजनायें

7443. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों, वनों और भूमि के समन्वित विकास के लिये कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है तथा देश के उन अंचलों के नाम क्या-क्या हैं, जहां यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि देश के पर्वतीय तथा पठारी अंचलों में ऐसी योजना के अभाव में नदी, नालों और वर्षा का पानी अंचलों को लाभांवित किये बिना व्यर्थ बह जाता है और इस प्रकार वहां के आदिवासियों के आर्थिक विकास में बाधा आती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जल संसाधनों, वनों और भूमि के एकीकृत विकास के लिये वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, और मृदा और नमी संरक्षण क्रियाकलापों जैसी विभिन्न स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाती हैं जिन्हें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है । ये कार्य मुख्यत: ऊपरी भूमि के कटाव को रोकने, पातनमें उपलब्ध जल संसाधनों के स्वस्थान (इनसिटू) संरक्षण और वनरोपण और अन्य सामाजिक वानिकी स्कीमों जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवक्रमित क्षेत्रों को बारहमासी वनस्पति क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करते हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में और पठारों में जहां पर भी लागू हो, जल संभर विकास कार्यक्रम जनजातियों के आर्थिक सुधार का प्रयत्न करते हैं ।

Development Blocks in Maharashtra under new package programme

7444. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will